अध्याय
07

संघवाद

पृष्ठभूमि:-

- आजादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था।
- कुछ देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी है।
- ना केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप नाम बदल दिए गए जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक तथा मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया।

संघवाद

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उभरना हुआ उनमें से एक सोवियत संघ भी था परंतु 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बँट गया इनमें से कुछ मिलकर "स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल" बना लिया ।
- सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति तथा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न- भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य था।
- पाकिस्तान को भी अपने देश मे विभाजन देखना पड़ा।
- 1947 के दुखद- विभाजन के बाद, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत अभी तक अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं।

© JCERT not to be republished

वेस्टइंडीज में संघवाद

- वेस्टइंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था 1958 में वेस्टइंडीज (फेडरेशन ऑफ वेस्टइंडीज) का जन्म हुआ।
- 1973 की' चिगुआरामस संधि' के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और कैरीबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसे संयुक्त संस्थानों का निर्माण किया।
- संघवाद की शुरुआत अमेरिका से हुई लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न हैं।
- संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है इनमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की।
- प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती हैं।
- भारत में इकहरी नागरिकता है ये अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ-साथ भारतीय भी होता है।
- राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का तथा स्थानीय महत्व के विषय प्रांतीय या राज्य सरकार की जवाबदेही होती है।
- केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव रोकने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है।
- यदि कोई एक इकाई भाषाई या विचारधारा संघ पर हावी हो जाए तो गृहयुद्ध की नौबत आ सकती है।

© JCERT not to be republished

नाइजीरिया में संघवाद

- किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय के एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहां संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होती है इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है।
- 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के उपनिवेश थे।1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया।
- तीन जातीय समूह एरुबा,इबो और हउसा-फुलानी अपने-अपने क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना रहा था।
- 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई लेकिन धार्मिक विभेद बना रहा।

भारतीय संविधान में संघवाद

- भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा में ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो।
- शक्ति का विभाजन- भारत में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संघीय या केंद्रीय सरकार और दूसरी प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए राज्य सरकार। कभी दोनों में विवाद हो जाए तो इसका निर्णय न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेगी। 4.भारत के संविधान में सूचियां- संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां हैं।

© JCERT not to be republished

सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद

- भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेंट सकें।
- भारत में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित प्रांत थे बल्कि 500 से ज्यादा देशी रियासत भी थे।
- अनुच्छेद-3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है तथा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है।
- इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधान मंडल को विचार करने का अवसर देता है
- सरकार द्वारा नियुक्त नीति आयोग राज्यों के संसाधन,प्रबंध की निगरानी करता है इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग राज्यों को अनुदान और ऋण देने में करती हैं।
- ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए तो ऐसी स्थिति में पहले राजसभा की अनुमति लेना आवश्यक है।
- अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है और इससे चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन करते हैं इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, न इन्हें सेवा से हटा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार को किसी क्षेत्र में सैनिक शासन (मार्शल लॉ) लागू करने का अधिकार देता है।

© JCERT not to be republished

स्वायत्तता की मांग

- समय-समय पर अनेक राज्यों ने तमिलनाडु (द्रमुक) पंजाब (अकाली) पश्चिम बंगाल (माकपा) ने स्वायत्तता की मांग की।
- एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होना चाहिए और संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए।
- स्वायत्तता की मांग का अन्य पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य, प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं।
- इसके अलावा स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी का वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग किया गया।

भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव

- संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की हैं।पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति और भूमिका की मांग उठाई गई है।
- समय-समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठायी,इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है।

केंद्र राज्य-संबंध

- आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था।नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण रहे।
- जब राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आए इससे राज्यों को और ज्यादा शक्ति और स्वायत्ता की मांग बढ़ने लगी।
- 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफी खत्म हो गया है और हम केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किए। राज्यों में भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए।
- इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और संघर्षवाद की शुरुआत हुई।

© JCERT not to be republished

राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन।

- राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है,जो एक निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है।
- राज्यपाल के फैसले को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दल सत्तारूढ़ हो।
- 1989 में सरकारिया आयोग बना, जो 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए।
- अनुच्छेद-356 द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।
- राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा करता है।
- 1959 में केरल में और 1967के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच-पड़ताल न्यायालय कर सकता है।
- स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी।1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। 10.1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी जबकि सत्ता कांग्रेस के पास थी।
- 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया।

© JCERT not to be republished

नवीन राज्यों की मांग

- नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ।
- 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
- 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर क्रमशः छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए कुछ क्षेत्र के भाषाई समूह अलग राज्य के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं।

अंतर्राज्यीय विवाद

- केंद्र और राज्य में, अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति रहती है वहीं दूसरी ओर दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद भी रहता है।
- सीमा विवाद- प्राय: पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तथा मणिपुर और नगालैंड के बीच भी सीमा विवाद हैं।
- राजधानी को लेकर पंजाब और हरियाणा में भी विवाद है।
- नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है।
- नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच विवाद है।

विशिष्ट प्रावधान

विशिष्ट प्रवधान के अंतर्गत अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है।

जहां छोटे से छोटे राज्यों को न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य दिया गया, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़ें राज्यों को ज्यादा को प्रतिनिधित्व मिल सके।

कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र सिक्किम और तेलंगाना के लिए ही हैं।

© JCERT not to be republished

जम्मू कश्मीर

- जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद- 370 के द्वारा विशिष्ट स्थिति जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई है ।
- स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत का चयन किया। इसी परिस्थिति में संविधान में उसे ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई।
- अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है।
- व्यवहार में जम्मू-कश्मीर को उतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं है जिसका अनुच्छेद-370 के भाषा से मिलती है। 6.जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है।
- संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान के संशोधन (अनुच्छेद 368) राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं।

स्मरणीय तथ्य

1989 के बाद सोवियत संघ का विघटन शुरु हुआ। विघटन से पूव´ राष्ट्रपति मिखाईल गोर्बाचोव थे।

1958 में 'वेस्टइंडीज संघ' का जन्म हुआ।

संविधान के अनुच्छेद1-में संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद-3. के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।

1990 के दशक से कांग्रेस का वच´स्व काफी खत्म हो गया।

1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई।

नर्मदा नदी के जल बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच विवाद है।

अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

© JCERT not to be republished

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत की तरह वेस्टइंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था,कब" वेस्टइंडीज संघ" का जन्म हुआ।

   a. 1950 b. 1955

   c. 1962 d. 1965

2. 1999 में किस देश में लोकतंत्र की दुबारा बहाली हुई थी?

   a. वेस्टइंडीज b. नाईजीरिया

   c. भारत d. श्रीलंका

3. "शिक्षा" भारत के संविधान में किस सूची में वर्णित है-

   a. संघ सूची

   b. राज्य सूची

   c. समवर्ती

   d. अवशिष्ठ शक्तियां

4. बिहार से विभाजन होकर झारखंड राज्य कब बना है?

   a. 2000 b. 2001

   c. 2003 d. 2005

5. किस राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है?

   a. झारखंड

   b. पश्चिम बंगाल

   c. मेघालय

   d. जम्मू कश्मीर

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 6. वेस्टइंडीज में संघवाद पर टिप्पणी लिखें?

प्रश्न 7. विशिष्ट प्रावधान से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 8. अंतराज्जीय विवाद के क्या-क्या कारण हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 9. भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव के क्या क्या कारण है, वर्णन करें?

प्रश्न 10. राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन पर प्रकाश डालें।

© JCERT not to be republished